13-5-24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। मिसल वास्ते रिपोर्ट दिनांक 12-07-24 को पेश हो।
12-07-24	पत्रावली पेश हुई/राजस्व मण्डल अजमेर/बार संघ/चूरू कारण से पत्रावली दिनांक 19-07-24 को पेश हो।
19-07-24	पत्रावली पेश हुई/राजस्व मण्डल अजमेर/बार संघ/चूरू कारण से पत्रावली दिनांक 01-08-24 को पेश हो।
01-08-24	पत्रावली पेश हुई/राजस्व मण्डल अजमेर/बार संघ/चूरू कारण से पत्रावली दिनांक 06-08-24 को पेश हो।
06-08-24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। तहसीलदार से जाँच रिपोर्ट प्राप्त। मिसल दिनांक 03-09-24 को पेश हो।
03-09-24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उप.। तहसीलदार [illegible] रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। मिसल दिनांक 08-10-24 को पेश हो।
08-10-24	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान SDO सा. अन्य राजकार्यों में व्यस्त। मिसल दिनांक 30-10-2024 को पेश हो।
30-10-24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उप.। पत्रावली का अवलोकन किया जिस के प्रार्थीगण के समस्त दस्तावेज सम्बन्धित है परन्तु तहसीलदार [illegible] गंगानगर से सम्बन्धित [illegible] ग्राम लखाऊ वादग्रस्त कृषि भूमि के स्थान पर जाँच रिपोर्ट पेश की गई है। वादीगण की ओर से दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादीगण के पिता व पति का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुर्गादत्त की बजाय [illegible] गया जो पटवारी के ओर के [illegible] द्वारा बताये जाने के कारण [illegible] हुआ है। परन्तु वास्तव में वादीगण के पिता व पति का नाम दुर्गादत्त है। राजस्व रिकॉर्ड व दस्तावेजी नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:20:28 IST
Reason: SelfAttested

अलग - अलग होने से कानूनी कठिनाई पैदा हो रही है। अतः वादीगण के पिता व पति का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे डूंगरदान की बजाय दुर्गादत्त किया जावे। तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र आदि मे वादीगण के पिता व पति का नाम दुर्गादत्त है व राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी मे वादीगण के पिता व पति का नाम डूंगरदान है। तहसीलदार चूरू की रिपोर्ट के अनुसार डूंगरदान व दुर्गादत्त दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः डूंगरदान की बजाय दुर्गादत्त किये जाने की अभिशंसा की है। वादीगण खातेदार है। राजस्व रिकॉर्ड व दस्तावेज नाम अलग-अलग होने से वादीगण को परेशानी होना स्वभाविक है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन व रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि रोही ग्राम सांखाऊ खसरा नम्बर 467/419 के राजस्व रिकॉर्ड मे वादी सं. 1 के पति व प्रतिवादी सं 2 से 4 के पिता का नाम डूंगरदान के स्थान दुर्गादत्त किये जाने की घोषणा की जाती है। वादीगण का किसी प्रकार का तथ्य छुपाया गया है तो वे स्वयं जिम्मेवार होंगे। वादीगण या वादीगण के पति व पिता के किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण दर्ज हो या राजकीय बकाया की स्थिति में यह नाम मान्य होगा। तहसीलदार चूरू अनुसार राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से सरे इजलास सुनाया गया। जारी कर ... होकर नत्थी पत्रावली ... से कम है। जाये ...

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:20:28 IST
Reason: SelfAttested